

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 118
TO BE ANSWERED ON 07.12.2022

PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA (GRAMEEN)

118 SHRI GHANSHYAM TIWARI:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the year-wise details of the grants given by Government during the last five years under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Grameen, in the context of Rajasthan ;
- (b) the number of cases registered regarding the irregularities related to the Pradhan Mantri Awaas Yojana in Scheduled areas of Rajasthan and the efforts made by the State Government to address them, the details thereof;
- (c) whether it is a fact that the appointment of Lokpal has been made mandatory by Government for redressal of complaints related to the Pradhan Mantri Awaas Yojana; and if so, the details regarding jurisdiction and powers thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(SADHVI NIRANJAN JYOTI)

- (a) The year-wise details of the Central Share released by the Ministry during the last five years under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) to Rajasthan State is given as under :-

Financial Year	Central share released (Rs. in crore)
2017-18	1895.66
2018-19	2340.13
2019-20	2933.34
2020-21	1108.59
2021-22	1405.46

- (b) The Rajasthan State was requested to furnish information. The information received from the state is given in the **Annexure**.

(c) & (d) Yes Sir. PMAY-G guidelines provide that the States/UTs should utilize the services of Ombudsperson under MGNREGA to dispose of grievances and reported incidences of irregularities under PMAY-G. These Ombudspersons are to be assigned the additional responsibility of action as Ombudsperson for PMAY-G with the same geographical jurisdiction as under MGNREGS. After considering the complaints pertaining to PMAY-G beneficiaries such as discrepancy in records regarding identity, location of house, denial of benefits, etc., orders should be passed within 30 days from the receipt of the complaint.

Statement in reply to part (b) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 118 to be answered on 07.12.2022 regarding "Pradhan Mantri Awaas Yojana (Grameen)"

Annexure I

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रकरण	दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
1	बांसवाड़ा	अन्य के खाते में राशि हरतान्तरण	ग्राम पंचायत कुण्डल के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध नियम 17 सीसीए के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई।
2	बारा	गलत जियो टैगिंग	ग्राम पंचायत रटावट के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नियम 17 सीसीए में आरोपित किया गया।
3	भरतपुर	अपात्र लाभार्थियों को रवीकृति जारी कर अनियमित भुगतान के क्रम में	दोषी 5 लेखाकर्मियों को निलम्बित करने हेतु वित्त विभाग को लिखा गया। तथा संबंधित 2 ग्राम विकास अधिकारी एवं 2 कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति कामां एवं पहाडी को निलम्बित करने हेतु जिला कलक्टर भरतपुर को निर्देशित किया गया है। साथ ही सहायक विकास अधिकारी श्री रामहंस गुर्जर को निलम्बित कर दिया गया है एवं विकास अधिकारी श्री के. के. जैमन को निलम्बित किये जाने हेतु पैतृक विभाग पीएचईडी को एवं विकास अधिकारी श्री राजीव जैमन जलग्रहण विभाग को निलम्बित करने हेतु लिखा गया है।

4	बीकानेर	गलत जियो टैगिंग	1. ग्राम पंचायत गजसुखदेसर के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नियम 17 सीसीए में आरोपित किया गया एवं ग्राम पंचायत बीकासर के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नियम 17 सीसीए में आरोपित किया गया।
5	चित्तौड़गढ़	अन्य के खाते में राशि हस्तान्तरण	ग्राम पंचायत उण्डवा के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रेमसिंह राणावत की 12 मई 2021 को मृत्यु हो चुकी है।
6	झुंजरपुर	अन्य के खाते में राशि हस्तान्तरण	ग्राम पंचायत धनगांव के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रभू लाल सेगाडा को कार्यमुक्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला परिषद् को लिखा गया है। ग्राम पंचायत शिशोट के तत्कालीन कनिष्ठ सहायक श्री मांगीलाल बुझ को नियम 17 सीसीए में आरोपित किया गया।
		गलत जियो टैगिंग	संबधित दोषी कार्मिक का मोबाइल ट्रेस करने की कार्यवाही की जा रही है।
7	जालोर	अन्य के खाते में राशि हस्तान्तरण	ग्राम पंचायत आलडी के ईमित्र संचालक श्री ओटाराम को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नोटिस जारी कर पाबन्द किया गया है।
8	जोधपुर	गलत जियो टैगिंग	ग्राम पंचायत पडियाल के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नियम 16 सीसीए में आरोपित किया गया।

(2)

9	कोटा	अन्य के खाते में राशि हस्तान्तरण	महावीर जैन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती खुशबू नागर कनिष्ठ सहायक शिवराम, तत्कालीन सरपंच दीपक प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है एवं विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।
10	पाली	अन्य के खाते में राशि हस्तान्तरण	1. श्री अशोक कुमार देवडा सहायक लेखा अधिकारी, पंचायत समिति सुमेरपुर को निलम्बित करने हेतु निदेशक कोष एवं लेखा विभाग को चार्जशीट प्रेषित की। 2. श्री नारायण सिंह राजपुरोहित तत्कालीन विकास अधिकारी को निलम्बित किया गया है। 3. श्री तनुराम राठौड़ तत्कालीन विकास अधिकारी को निलम्बित किये जाने की कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग शिक्षा विभाग को लिखा गया है। 4. श्री नरेश कुमार गर्ग कनिष्ठ सहायक को निलम्बित कर दिया गया है। 5. श्री दाउद खान कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवायी गयी है।

8

11	प्रतापगढ	अन्य के खाते में राशि हस्तान्तरण	ग्राम पंचायत लालगढ के कनिष्ठ सहायक श्री नारायण लाल मोगिया, ग्राम पंचायत भाटभमरिया के कनिष्ठ सहायक श्री तेजपाल मीणा एवं ग्राम पंचायत आम्बीरामा के कनिष्ठ सहायक श्री पूनम चन्द मीना विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है।
12	उदयपुर	गलत जियो टैगिंग	ग्राम पंचायत बैडावल के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री मेघराज मीना, श्री भंवर लाल मीना ग्राम पंचायत करावली, श्री हितेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत करावली एवं श्री रतनलाल मीना ग्राम पंचायत सतीकी चोरी इनके विरुद्ध 1 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी एवं 30 प्रतिशत शासित की वसूली की गयी है तथा श्री इन्द्र सिंह झाला पंचायत समिति डाकनकोटडा की 1 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी।

(4)
